

खायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा जिला बारां (राज्य)

क्रमांक 29/25

दिनांक 19.09.2025

- :: निर्णय :: -

प्राथी श्री कालूराम पुत्र/पुत्री मूलचन्द

एक पत्र लिख कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटडापार तहसील छवड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 32 में खातेदार/गैरखतौदार का नाम/प्रति कालू पुडा मूलचन्द अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

कालूराम आकत किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जाय पटवारी कोटडापार से करवाने पर पटवारी ने कालू के वजाय कालूराम करना उचित बताया। तहसीलदार छवड़ा ने भी सबत खाते में कालू करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत कोटडापार के खाता संख्या 32 में खातेदार/गैरखतौदार का नाम/प्रति कालू के स्थान पर सम्मानजनक रूप से कालूराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छवड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छवड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारां)